भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 267
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

ई-कोर्ट मिशन

267. श्री संजय सेठ :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजनाएं शुरू की हैं ; (ख) यदि हां, तो ई-कोर्ट मिशन के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा सही क्षमता में ई-कोर्ट्स परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जी हां । ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालय के सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थकरण के लिए राष्ट्रीय ई-शासन परियोजना है ।

(ख) और (ग) : न्यायालयों के आईसीटी समर्थकरण के वर्धन के लिए उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग द्वारा ई-न्यायालय परियोजना के अधीन निम्नलिखित पहलें की गई हैं :

i. वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना (डब्ल्यूएएन) के अधीन, (28.01.2022 को यथाविद्यमान) 2957 न्यायालय स्थलों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के साथ सुसज्जित किया गया है । यह सम्पूर्ण देश में डाटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आधार बनाता है ।

ii. मामला सूचना साफ्टवेयर (सीआईएस) जो ई-न्यायालय सेवाओं का आधार बनाता है, प्रचलित फ्री और ओपन सोर्स साफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है । वर्तमान में, सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है ।

iii. कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक नया साफ्टवेयर पैच और उपयोगिता निर्देशिका भी मामलों को अच्छी तरह सूचीबद्ध करने में सहायता करने के लिए विकसित किया जा रहा है ।

iv. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आन-लाईन प्लेटफार्म के रूप में सृजित आदेशों, निर्णयों और मामलों का डाटाबेस है । यह देश में

सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 19.75 करोड़ मामलों और 16.50 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मुकदमा करने वाले मामले की प्रास्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं(21.01.2022 को यथाविद्यमान) । 2020 में केन्द्रीय और राज्य सरकारों और सांस्थानिक मुकदमेबाजी करने वालों, जिनके अन्तर्गत स्थानीय निकाय भी हैं, को लम्बन मॉनीटरी और अनुपालन सुधारने के लिए एनजेडीजी डाटा तक पहुंचने के लिए अनुज्ञात करने के लिए ओपन एपीआई का आरम्भ किया गया ।

v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एण्ड पुल (2,00,000 एसएमएस प्रतिदिन भेजे गए), ई-मेल (2,50,000 प्रतिदिन भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (35 लाख हिट्स प्रतिदिन), जेएससी (न्यायिक सेवा केन्द्र) और सूचना कायोस्क के माध्यम से अधिवक्ताओं/मुकदमा करने वालो को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि पर वास्तविक समय सूचना प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफार्म सृजित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं के लिए मोबाइल एप में इलैक्ट्रानिक केस मैनेजमेंट टूल (ईसीएमटी) सृजित किया गया है (3 जनवरी, 2022 तक कुल 72.20 लाख डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस एप सृजित की गई है (3 जनवरी, 2022 तक कुल 16,825 डाउनलोड) । अब जस्ट आईएस मोबाइल एप आईओएस में भी उपलब्ध हैं ।

vi. यातायात चालान मामलों के लिए 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 17 आभासी न्यायालय प्रचालित किए गए हैं । 17 आभासी न्यायालयों द्वारा 1.20 करोड़ से अधिक मामले निपटाए गए हैं और 20 लाख से अधिक (20,40,003) मामलों में 212 करोड़ रुपए (212.01) का ऑनलाइन जुर्माना 19.01.2022 तक वसूला गया है ।

vii. भारत का उच्चतम न्यायालय (लॉकडाउन अवधि के आरम्भ से 08.01.2022 तक) 1,81,909 सुनवाईयां करके वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । उच्च न्यायालयों (57, 39, 966 मामले) और अधीनस्थ न्यायालयों (1,08,36,087 मामले) ने 30.11.2021 तक 1.65 करोड़ आभासी सुनवाईयां की हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों में वीसी सुविधा समर्थ की गई है । 14,443 न्यायालय कक्षों हेतु 2506 वीसी कैबिनों और वीसी उपकरणों के लिए निधियां जारी की गई हैं । आभासी सुनवाईयों के संबर्धन के लिए 1500 वीसी लाइसेंस उपाप्त किए गए हैं । 1732 डाक्यूमेंट विजुअलाईजर उपाप्त करने के लिए 7.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

viii. अद्यतन विशेषताओं जैसे नया डैसबोर्ड, जिसके अन्तर्गत कई भागीदारों, मामला फाइल करने, वकालतनामा, अभिवचन, ई-संदाय. अनुप्रयोग और मामला पोर्टफोलियो प्रबंधन का विकल्प भी हैं, के साथ विधिक दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए नया ई-फाइलिंग सिस्टम (वर्जन 3.0) चालू किया गया है । प्रारुप ई-फाइलिंग नियम विरचित किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को प्रचालित किए गए हैं । 31.12.2021 को यथाविद्यमान कुल 17 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियम अंगीकृत किए हैं ।

ix. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलैक्ट्रानिक संदाय के लिए विकल्प अपेक्षित होता है जिसके अन्तर्गत न्यायालय फीस, जुर्माने और शास्तियां भी हैं जो सीधे संचित निधि में संदेय होती हैं । न्यायालय फीस, जुर्माने और शास्तियों का ऑन-लाईन संदाय https://pay.ecourts.gov.in के माध्यम से आरम्भ किया गया है । कुल 16 उच्च न्यायालयों ने उनकी संबंधित अधिकारिताओं के भीतर ई-संदाय का कार्यान्वियन किया है । 31.12.2021 तक 23 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

x. डिजिटल खाई को पाटने के लिए सरकार ने अधिवक्ताओं और मुकदमा करने वालों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं । सरकार ने ई-सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए 12.54 करोड़ रुपए जारी किए हैं । 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 451 ई-सेवा केन्द्र क्रियाशील किए गए हैं ।

xi. प्रौद्यगिकी रूप से समर्थ तामील और समन जारी करने के लिए नेशनल सर्विस एण्ड ट्रेकिंग आफ इलैक्ट्रानिक प्रोसेस (एनएसटीईपी) आरम्भ की गई है । इसे वर्तमान में, 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है ।

xii. एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल आरम्भ किया गया है जिसमें खंडपीठ, मामले के प्रकार, मामले की संख्या, वर्ष, याची/प्रत्यर्थी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय, तारीख से तारीख तक और पूरे पाठ्य से सर्च करने की विशेषताएं हैं । यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं ।

xiii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से सृजित डाटाबेस का प्रभावी उपयोग करने तथा जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जस्टिस क्लॉक के नाम से ज्ञात 30 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइनबोर्ड सिस्टम 20 उच्च न्यायालयों में लगाए गए हैं ।

xiv. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के प्रति व्यापक रूप से जागरूकता के सृजन और उनसे परिचित कराने के लिए तथा "स्किल डिवाइड" की समस्या का समाधान करने के लिए ई-फाइलिंग पर निर्देशिका तथा "ई-फाइलिंग पर कैसे रजिस्टर करें" पर ब्रोशर अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया गया है । ई-न्यायालय सेवाओं के नाम से ई-फाइलिंग पर वीडिओ ट्यूटोरियल के साथ एक यू-ट्यूब चैनल सृजित किया गया है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए हैं । इन कार्यक्रमों ने 3,02,614 पणधारियों को कवर किया है जिनके अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारीवृंद, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षणकर्ता, उच्च न्यायालयों का तकनीकी कर्मचारीवृंद और अधिवक्ता हैं ।

****